# यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

**पीठासीन अधिकारी :–श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..**

**राजस्व आवेदन संख्या –05 / 2026**

**उनवान**

**प्रार्थीगण**

1.अर्जुनराम पुत्र नवलाराम
2.तगाराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती रामसर तहसील रामसर हाल निवास जैसार तहसील चोहटन जिला बाडमेर।

**विप्रार्थीगण**

1.श्री आदुराम पुत्र कलाराम
2.श्री जोगाराम पुत्र कलाराम
3.हनुमानराम पुत्र गेनाराम
4.सताराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती गरडिया तहसील रामसर।
5.करनाराम पुत्र कलाराम
6.प्रहलादराम पुत्र कलाराम
7.सामाराम पुत्र कलाराम
8.ठाकराराम पुत्र कलाराम
9.नगाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी हीरपुरा जैसार तहसील चौहटन जिला बाडमेर
10.अदला पुत्र तोगा
11.हमीर पुत्र तोगा
12.कमाल पुत्र सचु
13.रहमान पुत्र महेन्द्र
14.एलियास पुत्र अमर जाति मुसलमान निवासी सेहलाऊ तहसील रामसर जिला बाडमेर
15.तहसीलदार रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी**

दिनांक :–**25.03.2026**

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री मदनसिंह भाटी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **06.01.2026** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **जाटों की बस्ती** पटवार मण्डल **गरडिया** भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या क्रमशः 130 / 69,155 / 69 रकबा क्रमशः 1.9263, 4.4677 हेक्टयर, उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्डडाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 14 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गई।पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **जाटों की बस्ती** पटवार मण्डल **गरडिया** भूअनि भीण्डे का पार के खसरा संख्या क्रमशः [illegible] 155 / 69 रकबा क्रमशः 1.9263, 4.4677 हेक्टयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000 / – अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार [illegible] को निदेश दिये जाते है कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।
यह आदेश आज दिनांक **25.03.2026**को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया। पत्रावली फेसल सुमार हो नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाड़मेर

25/3/2026
(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : रीडर/2026/234-37
दिनांक : 25/3/2026

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/रामसर।
3. प्राथीर्नीश्रीमती अर्जुनराम पुत्र नवलाराम वगैराह।
4. विप्रार्थीगण आदुराम पुत्र कलाराम वगैराह

25/3/26
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.04 15:58:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner